रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2017 (माघ 15, 1938)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2017 (MAGHA 15, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	65
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	115
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	175
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	199
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	5
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	163
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	65
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	115
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	175
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	199
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	163
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I— खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2017

संकल्प

एफ सं. 5(1)–बी(पी.डी.)/2016––आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2016–2017 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक 8.0% (आठ प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जनवरी, 2017 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :––

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

व्यासन आर.
उप–सचिव (बजट)

इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली–110107, दिनांक 19 जनवरी 2017

संकल्प

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2016–एसडी–I––इस्पात मंत्रालय के दिनांक 21.12.2016 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों/एसोसिएशनों को इस्पात मंत्रालय के इस्पात उपभोक्ता परिषद में श्रेणी (IV) उद्योग संघ के तहत गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया जाता है :–

क्र.सं.	संगठन
1.	कोल्ड रोल्ड स्टील मेन्युफेक्चुरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 503–ए, शीतला हाउस, 73–74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
2.	मेटल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 317–320 मिडास, सहार प्लाजा, कोंडिविटा विलेज, मथुरादास वसांजी रोड, अँधेरी (ईस्ट), मुम्बई–400069

2. यह परिषद तब तक बनी रहेगी जब तक इसके अध्यक्ष इस्पात मंत्री के पद पर बने रहेंगे। इस एसएससी का प्रारम्भिक कार्यकाल इस संकल्प की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विशेष रूप से घटाया अथवा बढ़ाया न जाए। एसएससी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें आयोजित करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, नीति आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

सय्यदैन अब्बासी
संयुक्त सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2016

सा.का.नि. (संख्या–ए–38017/8/2011–एचआर)––राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक अन्वेषक, श्रेणी–2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आर्थिक अन्वेषक, श्रेणी–2 के समूह 'ग' पद पर भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद–संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स लेवल–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती नियम की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

4. निरर्हता–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति–जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐस करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पेमैट्रिक्स में अनुसूची लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
आर्थिक अन्वेषक श्रेणी–2	संख्या *(तैयार करने के वर्ष) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल–6	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुसूची

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9.	10.	11.	12.	13.
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :– केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के ऐसे अधिकारी– (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल–4 में किसी पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों;– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	लागू नहीं

भास्कर कालड़ा
अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th January 2017

RESOLUTION

F.NO. 5(1)-B(PD)/2016—It is announced for general information that during the year 2016-2017, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8.0% (Eight per cent) w.e.f. 1st January, 2017 to 31st March, 2017. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2017. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).

2. The Contributory Provident Fund (India).

3. The All India Services Provident Fund.

4. The State Railway Provident Fund.

5. The General Provident Fund (Defence Services).

6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.

7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.

8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

9. The Defence Services Officers Provident Fund.

10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

VYASAN R.
Deputy Secretary (Budget)

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 19th January 2017

RESOLUTION

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.

No. 5(3)/2016-SDI—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 21.12.2016 the following persons / Associations are hereby nominated as non-official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel under the category (IV) Industry Associations as a Special Invitee.

Sl. No.	Organisation
1.	Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India, 503-A, Sheetla House, 73-74, Nehru Place, New Delhi- 110019.
2.	Metal Recycling Association of India, 317-320, Midas, Sahar Plaza, Kondivita Village, Mathuradas Vassanji Road, Andheri (East), Mumbai – 400 069.

2. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Resolution unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

O R D E R

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI
Joint Secretary

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE

New Delhi, the 30th November 2016

G.S.R. [No. A-38017/8/2011-HR]—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Investigator Grade-II in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely :-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Economic Investigator Grade-II, Group 'C' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in pay matrix. - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of Scheduled annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and qualification etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, from reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Economic Investigator Grade-II	Number *(Year of framing) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6	Selection	Non Applicable	Non Applicable	Not Applicable

SCHEDULE

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9.	10.	11.	12.	13.
Not applicable	Deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract): Officer under the Central Government/ State Governments/ Autonomous Institutions under Central Government: (a) Holding analogous post on regular basis; or with five years' regular service in a post in the level 4 of pay matrix; and (b) Possessing the following qualification: Graduation with Economics from a recognized University. Note 1.-The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.-The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

BHASKAR KALRA
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई–प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally signed by LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.02.04 12:12:44 +05'30'